(38)

संख्या– 55 /VI-2/2012–14(खेल)2002

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2

देहरादून दिनांक : 08 फरवरी, 2012

विषय :–सिविल सर्विसेज फुटबाल टूर्नामेन्ट 2011–12 हेतु टीम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में आपके पत्र संख्या–1848/सि0स0टू0पत्रा0/2011–12 दिनांक–02 फरवरी, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–513/VI-2/2011–21(2)/2011 दिनांक–26 मई, 2011, शासनादेश संख्या–660/VI-2/2011–21(2)/2011 दिनांक–04 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या–14/VI–2/2012–21(2)/2011 दिनांक–05 जनवरी, 2011 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–11 के मानक मद–24–सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 5.00 लाख में से सिविल सर्विसेज फुटबाल टूर्नामेन्ट 2011–12 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता हेतु रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i) उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मदवार व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा वास्तविक व्यय के आधार पर ही आहरण/व्यय किया जाय।

ii) उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। योजना सम्बंधी शासनादेश संख्या–273/VI-I/08 दिनांक–17–11–08 एवं इस विषय पर समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा समिति के सम्मुख प्रस्ताव रखते समय प्राथमिकताओं को भी इंगित करते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

Letter section/

iii) धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

iv) उक्त अनुदान के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय–16–क–अनुच्छेद–369 के सुसंगत प्राविधानों उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अनुदान सम्बंधी विद्यमान अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

v) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवक सेवायें–00–104 खेलकूद–24–सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के आयोजनागत पक्ष के नाम में डाला जायेगा।

भवदीय,

(एन0एस0नेगी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–55/VI-I/2012–14 (खेल)/2002 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

Letter section/